रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1994/आषाढ़ 11, 1916
No. 345] NEW DELHI, SATURDAY JULY 2, 1994/ASADHA 11, 1916

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान समाहर्ता का कार्यालय,

अधिसूचना

सं. 8/94-सी.शु. (एन.टी.)एम जेड. ओ.

मद्रास, 7 जून, 1994

का. आ. 502(अ).—एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 18-6-1990 को अधिसूचना सं. 34/90-सी.शु. (एन.टी.) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन जारी किए गए और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक सचिवालय नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित तमिलनाडु राज्य के वा. ओ. चिदम्बरनार जिले के औट्टापिदरम तहसील के "पुदुर पान्डियपुरम" गांव को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भाण्डागार केन्द्र घोषित किया जाता है ।

[सी. सं. VIII/48/35/94-एम.जेड.ओ.I

एस. आर. नारायणन, प्रधान समाहर्ता

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

NO. 8/94-CUSTOMS (NT) MZO

Madras, the 7th June, 1994

S.O. 502(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 34/90 Customs (NT) dated 18-6-1990 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi "PUDUR PANDIAPURAM" village, Ottapidaram Taluk, V. O. Chidambaranar District in the State of Tamil Nadu, is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up of 100 per cent Export Oriented Units approved by the Government of India, Ministry of Industry, Secretariat for Industrial Approval, New Delhi.

[C. No. VIII/48/35/94-MZO]
S. R. NARAYANAN, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994